संख्या- /X-2-2012-12(13)/2011

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 19 मार्च, 2012

विषयः-अनुदान सं0-27 में वन विभाग में चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि पुनर्विनियोग सहित वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक नि0-1465/3-2(आयोजनेत्तर) दिनांक 13 मार्च, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष में संचालित योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के अतिरिक्त संलग्न बी0एम0-15 प्रारूप पर अंकित विवरणानुसार अनुदान सं0-27 वन विभाग के आयोजनागत पक्ष से आयोजनेत्तर पक्ष में ₹223.00 लाख का पुनर्विनियोग करते हुए **₹ 2,23,00,000/- (₹दो करोड़ तेईस लाख मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
2. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय.
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो.
4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्यके माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
5. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.

क्रमशः...2

6. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.
7. व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. इस समबन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय.
8. मानक मदों के आहरण प्रणाली के समबन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.
9. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
10. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
12. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय.

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-00-सामान्य अधिष्ठान हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामें डाला जाएगा:-

(धनराशि ₹हजार में)

क्र0 सं0	योजना का नाम/मान मद	आय-व्ययक प्राविधान (प्रथम अनुपूरक अनुदान सहित)	पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति	अवशेष बजट	वित्तीय स्वीकृति का वर्तमान प्रस्ताव	अभ्युक्ति
	03-00 सामान्य अधिष्ठान					
1	01- वेतन	1100000	1100000	0	22300	(+)22300 पुनर्विनियोग
	योग-	1100000	1100000	0	22300	

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹दो करोड़ तैईस लाख मात्र)

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-233-A(NP)/XXVII(4)/2012, दिनांक 19 मार्च, 2012 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं.

भवदीय,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

क्रमशः...3

संख्या- 554 (1)/X-2-2012, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
13. गार्ड फाईल.

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

आय-व्ययक प्रपत्र-15

पुनर्विनियोग विवरण पत्र 2011-12 अनुदान संख्या-27 राजस्व लेखा आयोजनागत पक्ष

नियंत्रक अधिकारी-अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड(धनराशि ₹ हजार में)

क0 सं0	बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि		लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
	1	2	3	4		5	6	7	8
1-	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 11-01-टी.एच.डी.सी. द्वारा वित्त पोषित योजना 24-वृहद निर्माण कार्य					2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-सामान्य अधिष्ठान 01-वेतन			क-आवश्यकता न हो के कारण बचत। ख-आवश्यकता होने क कारण
	10000	0	7024	2976		22300	1164000	7024	
2-	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 12-00-रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेंट 42-अन्य व्यय								ग-रू0 417.00 ला का पुर्नविनिय आयोजनेत्तर पक्ष से रही बचतों से भी वेत मद में पृथक से जा रही है, जिस कारण पुनर्विनियोग बाद स्तम्भ-6 की कु धनराशि रू0 11640.00 ला है।
	3000	1465	35	1500				1500	
3-	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 13-00-वनों की सुरक्षा हेतु/अतिकमण रोकने के लिए बाउण्ड्रीवाल निर्माण 25-लघु निर्माण कार्य								
	10000	3501	246	6253				3747	
4-	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 14-00-मुठभेड़ में मृत्यु होने तथा शासकीय कार्यो हेतु वनाधिकारियों/कर्मचारियों को सहायता/पुरस्कार 42-अन्य व्यय								
	1500	0	750	750				750	
5-	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 15-अधिक उच्च प्राणी उद्यान, वन मनोरंजन चेतना केन्द्र एवं पर्यटक स्थलों का विकास 25-लघु निर्माण कार्य								
	4500	1908	517	2075				2425	
6-	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 17-00-ईको टूरिज्म 29-अनुरक्षण								
	6500	4306	1694	500				6000	
7-	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 25-00-जीवों के वास स्थलों का विकास 29-अनुरक्षण								
	10000	3729	505	5766				4234	
8-	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 31-00-वनाग्नि नियंत्रण हेतु जी.आई.एस. यूनिट का गठन 26-मशीन साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र								
	150	0	100	50				100	

आय-व्ययक प्रपत्र-15

पुनर्विनियोग विवरण पत्र 2011-12 अनुदान संख्या-27 राजस्व लेखा आयोजनागत पक्ष

नियंत्रक अधिकारी-अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0 सं0	बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि		लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
	1	2	3	4		5	6	7	8
	29-अनुरक्षण								
	600	300	0	300				300	
	42-अन्य व्यय								
	500	0	250	250				250	
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय								
	500	33	337	130				370	
	1750	333	687	730		0	0	1020	
9-	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 34-वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु माइक्रोप्लान तैयार करना								
	25-लघु निर्माण कार्य								
	3000	750	500	1750				1250	
योग	50250	15992	11958	22300		22300	1164000	27950	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 155 एवं 156 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है.

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-4
संख्या- 283-A /XXVII(4)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2012

पुनर्विनियोग स्वीकृत
(डा0 एम0सी0जोशी)
अपर सचिव (वित्त)

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या- 554(2)/X-2-2011-12(13)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2012

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

आज्ञा से,
(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव